अध्याय–3

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

3.1 भूखंडों के विक्रय पर अवसंरचना अधिभार का अधिरोपित न किया जाना

परिषद ने शासनादेश के उल्लंघन में 20 भूखंडों के विक्रय पर ₹ 33.89 करोड़ का अवसंरचना अधिभार नहीं वसूला एवं भूखंडों के क्रेताओं को अनुचित लाभ विस्तारित किया।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) को भूखण्डों की बिक्री करते समय उनके मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से आवासीय अवसंरचना अधिभार[1] (अधिभार) अधिरोपित करने का निर्देश (अगस्त 1998) दिया। इस अधिभार को प्रत्येक नगर के लिए अलग–अलग बैंक खातों में आवासीय अवसंरचना निधि के रूप में निक्षेपित किया जाना था। निधि में निक्षेपित की गयी धनराशि का व्यय जलनिकास एवं सीवर के निर्माण, मार्ग प्रकाश तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था करने, सम्बन्धित नगर के सुन्दरीकरण, इत्यादि पर किया जाना था।

परिषद के संयुक्त आवास आयुक्त, लखनऊ क्षेत्र की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि परिषद के चार[2] सम्पत्ति प्रबंधन कार्यालयों (ईएमओ) ने 20 भूखंडों (1,24,810.37 वर्गमीटर) को सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2016 के मध्य ₹ 338.89 करोड़ में बेचा/नीलाम किया। तथापि, उक्त ईएमओ के प्रभारी अधिकारी ने ₹ 33.89 करोड़ का अधिभार अधिरोपित नहीं किया जिससे क्रेताओं को अनुचित लाभ विस्तारित हुआ।

परिषद ने कहा (अगस्त 2017) कि अधिभार अधिभारित नहीं किया गया क्योंकि छूट का प्रकरण शासन के साथ अनुसरण में था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन से अधिभार को अधिभारित करने से आवश्यक छूट प्राप्त करने के लिए सितम्बर 1999 के पश्चात (अर्थात विगत 18 वर्षों से) पत्र–व्यवहार नहीं किया गया था। अतः, जब शासन द्वारा छूट नहीं दी गयी थी, अधिभार अधिभारित एवं वसूल किया जाना चाहिये था।

प्रकरण शासन को जुलाई 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

---

[1] नगर के अवसंरचना विकास को सुनिश्चित करने के लिए, परिषद को आवासीय अवसंरचना अधिभार आरोपित करने का निर्देश दिया गया था जो कि प्रत्येक नगर के लिए अलग–अलग बैंक खातों में आवासीय अवसंरचना निधि के रूप में निक्षेपित किया जाना था। इस निधि का व्यय अवसंरचना सम्बन्धित सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे जल निकास एवं सीवर के निर्माण, मार्ग प्रकाश तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था करने, सम्बन्धित नगर का सुन्दरीकरण, इत्यादि पर किया जाना था

[2] वृन्दावन, अवध विहार, आम्रपाली एवं इंदिरानगर

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

3.2 बकाये की वसूली में ठेकेदार को अनुचित लाभ

निगम ने बकाये की वसूली में ठेकेदार को अनुचित लाभ विस्तारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.25 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) ने राज्य में निगम की बसों एवं सभी 242 बस स्टेशनों के प्राधिकृत फूड प्लाजाओं में 'परिवहन नीर' ब्राण्ड नाम से बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति एवं बिक्री के लिये मेसर्स एक्सिस इण्टरनेशनल (ठेकेदार) से एक अनुबंध (सितम्बर 2015) तीन वर्षों (01 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2018) की अवधि के लिये वार्षिक अनुज्ञा शुल्क[3] के आधार पर किया। ठेकेदार का चयन खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञा शुल्क, कर, लेवी या अन्य बकाये या क्षतिपूर्ति के भुगतान में कोई चूक होने पर इसे ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा से काटा जायेगा, इस प्रकार काटी गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के द्वारा 15 दिनों अन्दर की जायेगी, जिसमें विफल रहने के परिणामस्वरूप, यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2016) कि ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार, प्रतिभूति के रूप में ₹ 5.25 करोड़ (प्रथम वर्ष के लिए देय वार्षिक अनुज्ञा शुल्क अर्थात ₹ 21.00 करोड़ का 25 प्रतिशत) तथा 1 सितम्बर एवं 1 अक्टूबर 2015 को देय अनुज्ञा शुल्क की प्रथम एवं द्वितीय किस्तों का भुगतान किया। तथापि, इसके पश्चात वह नवम्बर 2015 से देय मासिक किस्तों का भुगतान, देय तिथि पर करने में विफल रहा। देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में ठेकेदार की निरंतर विफलता के कारण, निगम ने ₹ 5.25 करोड़ की बैंक प्रत्याभूति (बीजी) का नकदीकरण (जनवरी 2016) कर लिया। ठेकेदार ने बीजी के नकदीकरण के बाद भी मासिक किस्तों के भुगतान में चूक (फरवरी 2016 में किये ₹ 40.89 लाख के आंशिक भुगतान को छोड़कर) जारी रखी एवं बीजी की प्रतिपूर्ति, इसके नकदीकरण के 15 दिन के अंदर करने में असफल रहा। लेखापरीक्षा ने, आगे देखा कि प्रबंध निदेशक अनुबंध के स्वतः समाप्त होने के उपवाक्य को लागू करने में असफल रहे, तथा ठेकेदार को 28 जुलाई 2016 तक व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी इसके पश्चात् उसका बकाया ₹ 16.25[4] करोड़ निर्धारित करते हुए, अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया।

ठेकेदार ने, अनुबंध की समाप्ति के बाद, माननीय उच्च न्यायालय में समाप्ति आदेश के विरूद्ध एक याचिका दायर की जिसे ठुकरा दिया गया (अगस्त 2016)। न्यायालय ने इसके अतिरिक्त ठेकेदार को निगम के प्रबंध निदेशक से वार्ता करने अथवा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वर्तमान (सितम्बर 2018) में प्रकरण मध्यस्थ के समक्ष लम्बित है।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2018) कि स्वीकृत बोली की राशि (₹ 21.00 करोड़) काफी अधिक थी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा केवल ₹ 2.02 करोड़ की बोली लगायी गयी थी, और इसलिए, निगम को न तो कोई हानि हुई न ही ठेकेदार का पक्ष लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रतिभूति जमा से

---

[3] ₹ 21.00 करोड़ प्रथम वर्ष के लिए, ₹ 22.05 करोड़ दूसरे वर्ष के लिए एवं ₹ 23.15 करोड़ तृतीय वर्ष के लिए आठ बराबर किस्तों में + लागू सेवा कर एवं विलम्ब हेतु दण्ड, यदि कोई हो, 0.10 प्रतिशत की दर से देय था

[4] ₹ 12.67 करोड़ सेवा कर सहित अनुज्ञा शुल्क के रूप में तथा ₹ 3.58 करोड़ विलम्ब से भुगतान हेतु दण्ड के रूप में

बकायों के समायोजन की तिथि (जनवरी 2016) के 15 दिन के पश्चात, प्रबंध निदेशक को अनुबंध निरस्त कर देना चाहिए था।

प्रकरण शासन को जुलाई 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.3 परिहार्य हानि

प्रतिस्थापन योग्य मीटर बॉक्स अलग से क्रय करने की प्रणाली न होने के कारण डिस्कॉम्स को ₹ 3.69 करोड़ की हानि हुई

उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (प्रदाय संहिता), अन्य विषयों के साथ, यह प्रदान करता है कि विद्युत के विपथन, चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या मीटर से छेड़छाड़, संकट या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी[5] द्वारा चोरी–मुक्त मीटर बॉक्स की व्यवस्था करना अनिवार्य है। छेड़छाड़ (चोरी) मुक्त मीटर बॉक्स एक पारदर्शी प्लास्टिक खोल में एकीकृत रहता है, यदि मीटर बॉक्स खोला जाय तो यह टूट जाता है, ऐसी सम्भाव्यता में, कार्यशील मीटर होने के बावजूद भी सम्पूर्ण मीटर बॉक्स को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। मीटर और बॉक्स दो अलग–अलग इकाईयां हैं एवं खुली निविदा के माध्यम से अपनी सम्बन्धित तकनीकी विशिष्टियों के विरूद्ध पृथक–पृथक क्रय किये जाते हैं।

स्वतः बंद होने की व्यवस्था वाले चोरी–मुक्त मीटर बॉक्स

[5] विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 2 (17) के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी से आशय एक व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र में निर्दिष्ट क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की भांति विद्युत वितरण करने की अनुमति प्रदान की गयी है। वर्तमान प्रकरण में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अनुज्ञप्तिधारी हैं

स्वतः बंद होने की व्यवस्था वाले चोरी–मुक्त मीटर बॉक्स

लेखापरीक्षा ने देखा कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म.वि.वि.नि.लि.) के विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड[6] (इयूटीडी)-X, लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन (लेसा), विद्युत परीक्षण खण्ड (ईटीडी), बरेली और ईयूटीडी, बरेली एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प.वि.वि.नि.लि.) के ईयूटीडी, मुरादाबाद ने ₹ 3.69 करोड़[7] लागत के 50,367 कार्यरत मीटरों को नये मीटरों से 2014–15 से 2016–17[8] के दौरान बदला[9]। एक बार प्लास्टिक मीटर बॉक्सों के टूटने के बाद, ₹ 71.01 लाख[10] का व्यय करके अलग से मीटर बॉक्स क्रय करके उन्हें विद्यमान कार्यशील मीटरों में फिट करने के बजाय डिस्कॉमों ने विद्यमान कार्यशील मीटरों को रद्दी घोषित कर दिया।

विद्यमान मीटरों के कार्यशील होने के बावजूद, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रबंध निदेशक ने अलग से मीटर बॉक्स क्रय करने की प्रणाली विकसित नहीं की एवं कार्यशील मीटरों को नये मीटरों से बदलना जारी रखा, जिसकी लागत डिस्कॉमों द्वारा वहन की गयी क्योंकि उपभोक्ता कार्यशील मीटरों को नये मीटरों से बदलने पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने, इसके अतिरिक्त, देखा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक सहयोगी संस्था, ने कार्यशील मीटरों को पुनः प्रयोग करने के लिए अलग से मीटर बॉक्सों के क्रय की प्रणाली को अपनाया था जो कि लागत प्रभावी था।

---

6 ईयूटीडी.X(लेसा): 11,238 एकल फेज तथा 329 तीन फेज मीटर, ईटीडी, बरेली,: 1,295 एकल फेज तथा 98 तीन फेज मीटर, ईयूटीडी, बरेली: 6,705 एकल फेज तथा 267 तीन फेज मीटर, ईयूटीडी, मुरादाबादः 30,435 एकल फेज मीटर

7 19,238 एकल फेज मीटर x ₹ 864 प्रति मीटर + 30,435 एकल फेज मीटर x ₹ 610 प्रति मीटर + 694 तीन फेज मीटर x ₹ 2,414 प्रति मीटर

8 ईयूटीडी–X(लेसा): 2015–16, ईटीडी तथा ईयूटीडी बरेली: 2014–15 से अगस्त 2016 एवं ईयूटीडी मुरादाबादः 2015–16

9 मीटर या तो तार में दोष अथवा विशेष अभियान के अंतर्गत अंदर स्थापित मीटरों को उतार कर उनको उपभोक्ता के परिसर के बाहर पुनः स्थापित करने के कारण बदले गये

10 19,238 एकल फेज मीटर x ₹ 175 प्रति मीटर बॉक्स + 30,435 एकल फेज मीटर x ₹ 101 प्रति मीटर बॉक्स + 694 तीन फेज मीटर x ₹ 952 प्रति मीटर बॉक्स

इसके परिणामस्वरूप, कार्यशील अवस्था के 50,367 (49,673 एकल फेज एवं 694 तीन फेज) मीटरों को पुनः उपयोग नहीं किया जा सका तथा इन्हें म.वि.वि.नि.लि.[11] एवं प.वि.वि.नि.लि.[12] द्वारा रद्दी कर दिया गया। उपलब्ध विकल्पों की लागत–लाभ विश्लेषण नहीं करने एवं अलग से मीटर बॉक्सों के क्रय के निर्णय के साथ आगे नहीं बढ़ने के कारण, इन डिस्कॉमों ने कार्यशील मीटरों के पुनः प्रयोग का अवसर खोया एवं परिणामतः ₹ 3.69 करोड़ की हानि उठाई जिसे टाला जा सकता था।

प.वि.वि.नि.लि. द्वारा प्रेषित (नवम्बर 2017) उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषय को संबोधित नहीं करता है।

प्रकरण शासन एवं प्रबंधन को जुलाई 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया। शासन एवं म.वि.वि.नि.लि. के प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

लेखापरीक्षा प्रभाव

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.4 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर ₹ 3.63 करोड़ की वसूली

सीएनसीई विनियमावली 2009[13] के अनुसार कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों को ऊर्जा की बैंकिंग[14] की अनुमति इस शर्त के साथ दी जायेगी कि बैंक की गयी ऊर्जा की वापसी को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से पीक आवर्स (17:00 आवर्स से 22:00 आवर्स) को छोड़कर, शेष अवधि के दौरान क्रय की गयी ऊर्जा के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा मई 2017 में यह इंगित करने के बाद कि उपभोक्ता[15] द्वारा पीक आवर्स में ली गयी ऊर्जा का समायोजन गलत तरीके से बैंक की गयी ऊर्जा के विरूद्ध किया जा रहा था, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी ने पीक आवर्स के दौरान विद्युत की आपूर्ति के लिए ₹ 3.63 करोड़ (अप्रैल 2009 से अगस्त 2013) का पूरक बिल निर्गत (जुलाई 2016) किया एवं उक्त की वसूली उपभोक्ता से अक्टूबर 2017 में कर ली।

[11] 19,238 एकल फेज मीटर एवं 694 तीन फेज मीटर

[12] 30,435 एकल फेज मीटर

[13] उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कैप्टिव एवं गैर–परम्परागत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र विनियमों को अधिसूचित करता है

[14] ऊर्जा की बैंकिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक उत्पादन संयंत्र, ग्रिड को ऊर्जा की आपूर्ति किसी तृतीय पक्ष या अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय के अभिप्राय से नहीं बल्कि ग्रिड से इस ऊर्जा की पुनः वापसी की पात्रता के प्रयोग के अभिप्राय से करता है

[15] कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड {आदित्य बिरला केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड}

उत्तर प्रदेश वन निगम

3.5 अधिशेष निधि के अविवेकपूर्ण निवेश के कारण ब्याज की हानि

निगम अपने व्यावसायिक कार्यकलापों[16] से सृजित अधिशेष निधि के अविवेकपूर्ण निवेश के कारण ₹ 1.52 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित रहा

उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) की लेखा नियमावली के अनुसार, निगम की निधियों का निक्षेपण भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों एवं अन्य अनुसूचित बैंकों में किया जायेगा। निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) द्वारा इन निधियों के प्रबंधन/निवेश के लिए एक समिति (तीन सदस्यों[17] को सम्मिलित करते हुए) बनायी गयी थी। अधिशेष निधियों को सावधिक जमा (एफडी) में निवेश करने के लिए समिति अनुसूचित बैंकों से कोटेशन आमंत्रित करती है। समिति की संस्तुतियों पर निधियों का निवेश एमडी द्वारा उच्चतम कोटेड दर पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2017) कि समिति की संस्तुति पर, प्रबंध निदेशक ने तीन अलग–अलग तिथियों पर 26 एफडी के रूप में ₹ 248.82 करोड़ को एक वर्ष के लिए निवेश करने के समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आगे यह देखा गया कि ₹ एक करोड़ (एक वर्ष की अवधि के लिए) से कम की एफडी पर ब्याज की दर, अधिक धनराशि या लम्बी अवधि या दोनों के लिए एफडी पर बैंकों द्वारा प्रस्तावित दरों की तुलना में, अधिक थी।

निगम द्वारा की गयी एफडी की संवीक्षा ने दर्शाया कि 17 दिसम्बर 2016 को ₹ एक करोड़ से कम की पांच एफडी[18] सात से 7.25 प्रतिशत की दर से बनवायी गयीं एवं ₹ एक करोड़ से अधिक की एक एफडी 6.5 प्रतिशत के दर से बनवायी गयीं। 21 दिसम्बर 2016 को, ₹ एक करोड़ से कम की चार एफडी सात प्रतिशत की दर से बनवायी गयी एवं एक करोड़ से अधिक की अन्य पांच एफडी सात प्रतिशत[19] से कम की दरों पर बनवायीं गयीं। इसी प्रकार, 23 दिसम्बर 2016 को, ₹ एक करोड़ से कम की चार एफडीयां सात प्रतिशत की दर से एवं एक करोड़ से अधिक की अन्य सात एफडी सात प्रतिशत[20] से कम की दरों पर बनवायीं गयीं।

यह सुस्पष्ट है कि 13 एफडी सात से 7.25 प्रतिशत की उच्च दरों पर निवेशित की गयीं। तथापि, अन्य 13 एफडी का निवेश 6.26 से 6.61 प्रतिशत की सीमा के मध्य ब्याज की नीची दरों पर किया गया। यह इंगित करता है कि समिति ने अधिशेष निधि के निवेश के लिए विभिन्न बैंकों से प्राप्त कोटेशनों का उस तरीके से उचित विश्लेषण नहीं किया जो अधिकतम प्रतिफल प्रदान करता। अन्यथा, यदि उपरोक्त तीन तिथियों के सभी एफडी का निवेश साधारणतया उपलब्ध सात प्रतिशत की दर पर किया गया

---

[16] निगम के व्यवसायिक क्रियाकलाप अधिकार–शुल्क के भुगतान के बदले वन विभाग द्वारा इनको हस्तांतरित किये गये वन उत्पादों का संग्रहण/विक्रय है

[17] महाप्रबंधक (उद्योग) समिति के अध्यक्ष थे एवं महा प्रबंधक (विपणन) तथा मुख्य लेखा अधिकारी समिति के दो अन्य सदस्य थे

[18] ₹ 99,90,000.00 की चार सावधिक जमाएं सात प्रतिशत की दर से तथा ₹ 99,90,000.00 की एक सावधि जमा 7.25 प्रतिशत की दर से

[19] दो 6.5 प्रतिशत पर, एक 6.61 प्रतिशत पर एवं शेष दो 6.26 प्रतिशत पर

[20] दो 6.5 प्रतिशत पर, एक 6.61 प्रतिशत पर एवं चार 6.26 प्रतिशत पर

होता तो निगम ₹ 1.52 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज उपार्जित कर सकता था। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, निगम द्वारा प्रकरण की आंतरिक समीक्षा कभी नहीं की गयी।

प्रबंधन (अगस्त 2017) एवं उत्तर प्रदेश शासन (फरवरी 2018) ने कहा कि बैंक ब्याज दर के विभिन्न स्लैब्स में, एक विशेष तिथि पर केवल एक ही एफडीआर निर्गत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। यदि एक विशेष तिथि को सभी धनराशियाँ एक एफडीआर में निवेश कर दी जाती तो निगम को ब्याज की हानि होती। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि केवल चार बैंक शाखाओं ने एक विशेष तिथि पर ₹ एक करोड़ से कम की एक एफडीआर निर्गत करने का प्रस्ताव दिया था। इसके अतिरिक्त, निगम ने एक बैंक शाखा[21] में उसी तिथि पर (दिसम्बर 2016) ₹ एक करोड़ से कम की 10 एफडी में निवेश किया था। अधिकतम ब्याज उपार्जन के लिए एफडी की धनराशि को विभाजित कर विभिन्न बैंकों में भिन्न–भिन्न तिथियों पर ₹ एक करोड़ से कम की एफडी में निवेश किया जा सकता था।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.6 राजस्व का कम प्रभारण

प्रदाय संहिता, 2005 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण कम्पनी ने एक उपभोक्ता को ₹ 1.28 करोड़ से कम प्रभारित किया

उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (प्रदाय संहिता) उपवाक्य 5.7 (मीटर जो अभिलेखन नहीं करता) के अंतर्गत बताता है कि उपभोक्ता को अंतिम रीडिंग की तिथि एवं त्रुटिपूर्ण मीटर बदले जाने की तिथि के मध्य की अवधि के लिए अंतिम रीडिंग के पूर्व तीन बिल चक्र के औसत उपभोग एवं औसत अधिकतम मांग के आधार पर बिल किया जायेगा। औपबंधिक बिल, यदि कोई जारी किया गया, तद्नुसार समायोजित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2016) कि प्रदाय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–।। नोएडा (खण्ड) ने एक उपभोक्ता[22] को माह अक्टूबर 2015 (16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2015 तक अर्थात, 16 दिन) के विद्युत उपभोग हेतु बिल, दोषपूर्ण डबल पोल मीटर[23] में दर्ज रीडिंग के आधार पर एवं माह नवम्बर 2015 हेतु, 23 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2015 के मध्य मुख्य मीटर[24] में दर्ज रीडिंग के अनुपातिक आधार पर निर्गत किया। इसके स्थान पर, उपर्युक्त अवधि का बिल अंतिम रीडिंग के पूर्व तीन बिलिंग चक्रों अर्थात अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 2015 के औसत उपभोग एवं औसत

---

[21] पंजाब नेशनल बैंक, बंथरा शाखा

[22] सैमसंग, नोएडा अनुबन्धित भारः 15,000 केवीए

[23] खण्ड के अधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार, मीटर में पूर्व–स्थापित सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण उपभोक्ता के भवन में स्थापित मुख्य मीटर 16 अक्टूबर 2015 से विद्युत उपभोग का अभिलेखन सभी आठ टीओडी क्षेत्रों में, क्षेत्र प्रथम को छोड़ कर, नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, डबल पोल मीटर का आरटीसी (रियल टाइम क्लॉक) त्रुटिपूर्ण था

[24] मुख्य मीटर का सॉफ्टवेयर 23 नवम्बर 2015 को भारित/अपलोड किया गया। माह नवम्बर 2015 का बिल 23 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2015 तक मुख्य मीटर में अभिलिखित रीडिंग का औसत लेकर बनाया गया

अधिकतम मांग के आधार पर निर्गत किया जाना था। प्रदाय संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करने से कम्पनी ने उपभोक्ता को ₹ 1.28 करोड़ से कम प्रभारित किया।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जब डबल पोल मीटर सही रीडिंग दर्ज कर रहा था, तो उपभोक्ता के उपभोग का निर्धारण प्रदाय संहिता 2005 के अनुसार अंतिम तीन महीनों के औसत के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। खण्ड ने प्रदाय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उपभोक्ता को बिल भेजा। इसके अतिरिक्त, खण्ड के अधिकारी/कर्मचारियो[25] ने प्रतिवेदित किया था कि डबल पोल मीटर की आरटीसी त्रुटिपूर्ण थी एवं डबल पोल मीटर में दर्ज उपभोग के आधार पर सही बिल निर्गत करना सम्भव नहीं था।

प्रकरण शासन एवं प्रबंधन को जून 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया। शासन का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.7 लागू न्यूनतम शुल्क नहीं प्रभारित करने से राजस्व की हानि

एचवी–3 श्रेणी के उपभोक्ता (रेलवे ट्रैक्शन) के बिल में लागू न्यूनतम शुल्क नहीं प्रभारित करने के कारण दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 1.20 करोड़ के राजस्व की हानि सहन करनी पड़ी

टैरिफ आदेश[26] 2012–13 और 2013–14, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित एवं हाई वोल्टेज (एचवी)–3 श्रेणी उपभोक्ताओं (रेलवे ट्रैक्शन) पर प्रयोज्य, 'दर'[27] प्रदान करता है जो मांग एवं विद्युत शुल्क बताता है जिन पर विद्युत उपभोग हेतु उपभोक्ता को बिल भेजा जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह बताता है कि एक उपभोक्ता 'न्यूनतम प्रभार' के आधार पर बिल किया जायेगा जोकि केवल तब प्रभाव में आएगा जब 'प्रभार की दर' न्यूनतम प्रभार से कम हो।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2016) कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड–।।, झाँसी (खण्ड) ने वरिष्ठ संभागीय विद्युत अभियंता, भारतीय रेल, झाँसी (उपभोक्ता) को एचवी–3 (रेलवे ट्रैक्शन) श्रेणी के अंतर्गत 5,000 केवीए के अनुबन्धिक भार का एक संयोजन निर्गत (जनवरी 2013) किया। इस तथ्य के बावजूद कि वास्तविक उपभोग न्यूनतम प्रभार से कम था; खण्ड ने उपभोक्ता को जनवरी 2013 से अगस्त 2013 (अप्रैल 2013 को छोड़ कर) की अवधि के लिए न्यूनतम प्रभार (₹ 550/केवीए/माह, 1 अक्टूबर 2012 से 9 जून 2013 के दौरान तथा ₹ 650/केवीए/माह 10 जून 2013 से 11 अक्टूबर 2014 के दौरान) के स्थान पर, वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, धनराशि

---

[25] अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–।।, नोएडा

[26] टैरिफ आदेश 2012–13 (1 अक्टूबर 2012 से 9 जून 2013) एवं टैरिफ आदेश 2013–14 (10 जून 2013 से 11 अक्टूबर 2014)

[27] स्थायी/मांग प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार का योग

वसूली योग्य नहीं रही क्योंकि उस तिथि से जब से उक्त राशि प्रथम बार देय हुयी थी, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं कहा (सितम्बर 2017) कि माह जून 2016 के बिल में ₹ 95 लाख का निर्धारण जोड़ दिया गया था। उपभोक्ता ने तब से प्रदाय संहिता के अंतर्गत, उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, झाँसी (फोरम) में एक याचिका दायर (जनवरी 2017) की है जो कि अभी तक (सितम्बर 2018) लम्बित है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा कम–वसूली इंगित किये जाने के बाद, प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्यवाही की परन्तु मामला अब समय–बाधित हो गया एवं बकाया वसूली योग्य नहीं रहा। यदि कम्पनी ने उचित अनुश्रवण तंत्र विकसित एवं अनुरक्षित किया होता तो सुधारात्मक कार्यवाही में इस परिहार्य विलम्ब को रोका जा सकता था।

प्रकरण शासन एवं प्रबंधन को जून 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया। शासन का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

लखनऊ
दिनांक 10 नवम्बर NOV 2018

(सौरभ नारायन)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 12th Nov., 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक